राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 98/2010/चित्तौड़गढ़.
2. अपील संख्या – 99/2010/चित्तौड़गढ़.

मैसर्स खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स,
निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–चित्तौड़गढ़ .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 26.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों वर्ष क्रमशः 2007–08 व 2008–09 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी को राजस्थान इन्वेसटमेन्ट प्रमोशन स्कीम (RIPS, 2003) के तहत ब्याज एवं मजदूरी पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी किया हुआ था जिसके अनुसार रिप्स, 2003 के प्रावधान अनुसार लाभ दिया जाने का आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना था अतः अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2007–08, एवं वर्ष 2008–09 के लिये सब्सिडी प्रदान करने का आदेश दिये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे उन्हें रिप्स, 2003 के प्रावधानों के तहत देय नहीं मानते हुये अस्वीकार कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। उन्होनें यह कथन किया है कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा उक्त अवधि में कोई कर राजकोष में जमा नहीं कराया गया है क्योंकि इनपुट टैक्स से समायोजित हो गया था परन्तु उन्हें आउटपुट टैक्स पर सब्सिडी प्राप्त करने

लगातार.....2

अपील संख्या 98/2010/चित्तौड़गढ़

का विधिक अधिकार प्राप्त है कथन किया कि रिप्स योजना के तहत Tax Paylable पर सब्सिडी दिये जाने के प्रावधान है एवं व्यवसायी द्वारा कोई कर नहीं जमा नहीं कराने का कारण उसकी खरीद राशि पर आईटीसी अधिक होना एवं उसे आउटपुट टैक्स में समायोजित करना है।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुये कथन किया कि रिप्स, 2003 के तहत केवल कर के रुप में जमा राशि के 50 प्रतिशत तक की राशि का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है जबकि अपीलार्थी द्वारा कोई कर जमा नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में कोई अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिप्स योजना,2003 के तहत पात्रता प्रमाण पत्र धारक को अनुदान दिये जाने हेतु दिये गये क्लॉज 7(1)(a) में निम्न प्रावधान है :– In case of new investment made, the sum total of interest subsidy and wage/employment subsidy would be subject to maximum limit of fifty percent of the tax payable and deposited under the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, The Central Sales Tax Act, 1956 and Value Added Tax Act as and when introduced in the state.

चूंकि RIPS, 2003 के तहत अनुदान राशि, व्यवहारी द्वारा जमा कर राशि के 50 प्रतिशत राशि तक दी जाने के प्रावधान है एवं इस प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा राजकोष में कोई कर जमा नहीं करवाया गया है। वैट अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान अनुसार Tax Payable वह राशि होती है जो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की राशि घटाने पर प्राप्त होती है अर्थात Tax Payable का अर्थ Net Tax Payable राशि है एवं इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्णय **RSWM Limited Vs. State of Rajsthan 32 Tax update page 164** में भी यह निर्णय किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी की Net Tax payable राशि शून्य थी इसलिये कोई कर राशि जमा नहीं करवाई गई है ऐसी स्थिति में सब्सिडी प्रदान किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अवधियों में सब्सिडी प्रार्थना पत्र को अपास्त करने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि करने में कोई भूल नहीं की गई है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

23/8/2017

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य